-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **बस/ट्रेन/ऑटो/ई-रिक्शा आदि सवारी गाड़ियों में टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तरजनपदीय गिरोह 04 सदस्यों को थाना नरैनी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस आदि बरामद।**

❖ **अभियुक्तों द्वारा सुनियोजित तरीके से ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा आदि सवारी गाड़ियो में टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को दिया जाता है अंजाम।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में थाना नरैनी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बस/ट्रेन/ऑटो/ई-रिक्शा आदि सवारी गाड़ियों में टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तरजनपदीय गिरोह के 04 सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 03.05.2026 को सुबह भोर में थाना नरैनी पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पनगरा नहर के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति है जो चोरी/टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देते है। सूचना पर तत्काल थाना नरैनी व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर छापेमारी कर घेराबन्दी की गई तो उक्त लोगों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही करते हुए तत्परता से घेरकर चारों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे, जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस, आदि बरामद हुए है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे सभी लोग सुनियोजित तरीके से ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा आदि सवारी गाड़ियो में सवारी बनकर चढ़ जाते है और उसमें बैठे सवारियों के किमती सामानों बैग, सूटकेस आदि को चिन्हित कर मौका पाकर उसको काटकर/खोलकर कीमती सामानों की चोरी कर लेते है साथ ही पाकेटमारी का भी काम करते है और मौका पाकर अगले स्टाप पर उतर जाते है। साथ ही बताया कि ग्रामीणों क्षेत्रों में यह काम आसानी से हो जाता है तथा पकड़े जाने पर तमंचे का डर दिखाकर भाग जाते है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 02 मिस कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस एवं तलाशी में 05 हजार रुपए बरामद हुए है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और कहां-कहां और किन-किन जनपदों में टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल है।

बरामदगी-

- 02 अवैध तमंचा
- 02 मिस कारतूस
- 01 खोखा कारतूस
- 01 जिन्दा कारतूस
- 02 मोबाइल फोन
- 05 हजार रुपए

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. निराजुल हसन पुत्र अजीत निवासी शाहपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
2. गोविन्द पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी पुट्ठी इब्राहिमपुर थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर।
3. फहीम (फईम) पुत्र हनीफ निवासी शाहपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
4. साहिल पुत्र जाइद निवासी शाहपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 86/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त निराजुल उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 199/19 धारा 323/325/504 भादावि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0- 123/23 धारा 379 भादवि थाना खरेला जनपद महोबा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गोविन्द उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 59/21 धारा 392/506/120B भादावि थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

ये अभियुक्तों के अभी तक प्राप्त आपराधिक इतिहास का विवरण है। इनके और भी आपराधिक इतिहास है, जिनकी जानकारी अन्य जनपदों से की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार तिवारी प्र0नि0 नरैनी मय टीम
2. श्री आनंद कुमार प्रभारी एसओजी मय टीम
3. श्री राजेश कुमार मौर्य प्रभारी सर्विलांस मय टीम